*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब० / विविध (पेशाकर)–21–07 / 2014 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹143.96851 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ इक्यावन रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि में से ₹143.96851 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ इक्यावन रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	स्वीकृत की जाने वाली राशि
1	*2*	*3*	*4*
1	रोहतास	नगर परिषद्, सासाराम	67.93118
2	पश्चिमी चम्पारण	नगर परिषद्, बगहा	51.90601
3	औरंगाबाद	नगर परिषद्, दाउदनगर	24.13132
		कुल योग	**143.96851**

कुल स्वीकृत राशि ₹143.96851 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ इक्यावन रु०) मात्र।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि ₹143.96851 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ इक्यावन रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 687, दिनांक– 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर परिषदों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. राशि की निकासी के बाद T.V. न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रुप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹143.96851 लाख (एक करोड़ तैंतालीस लाख छियानवे हजार आठ सौ इक्यावन रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के अन्तर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद, मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 80–सामान्य, लघु शीर्ष– 192–नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उपशीर्ष– 0009–पेशाकर के आलोक में अनुदान, विषय शीर्ष– 0009.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतन, विपत्र कोड– **48-2217801920009** से की जायगी। **इस राशि का व्यय राज्य के सभी नगर परिषदों में वेतनादि से भिन्न अन्य मदों पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए किया जायेगा।**

6. बिहार पेशाकर व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 16 के अनुसार अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से स्थानीय प्राधिकार द्वारा पेशाकर का उदग्रहण नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127 निरस्त हो गई है तथा पेशााकर नगर निकाय का आंतरिक संसाधन नहीं रह गया है।

7. **पेशाकर मद में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि का व्यय राज्य के सभी नगर परिषदों द्वारा वेतन मद से भिन्न अन्य मदों पर विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए नियमानुसार किया जा सकता है।** पेशाकर की राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जाएगा।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। योजनाओं के कार्यान्वयन का त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 7355 वि०(2), दिनांक– 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. सहायक अनुदान की उक्त राशि के व्यय की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक– 02.07.2019 के मद संख्या– 10 के रूप में प्राप्त है।

11. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/विविध (पेशाकर)–21–07/2014 के पृष्ठ सं०–...195.../टि० पर दिनांक–4.3.20......को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...196......./टि० पर दिनांक–...6.3.20...... को प्राप्त है।

12. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखो को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागर पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध (पेशाकर)–21–07/2014 241 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12/03/2020

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागर विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रधान सचिव, वाणिज्यकर विभाग, बिहार पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री अमितेश, विभागीय आई०टी० प्रबंधक, को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने संबंधित एवं सभी को ई0मेल करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12.03.2020

सरकार के विशेष सचिव।